# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in


क्र0/विविध/115–925/LAND-43/312/2026-FOREST HQ/434520 As per e-signature

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः– **Diversion of 1.82 ha Forest land in favour of PWD B and R Division Surajpur for Construction of New District Court Building, under Forest Conservation Act, 1980 at Surajpur District, in the State of Chhattisgarh-reg FP/CG/Others/152258/2022**

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक FC-I/IROCH-15/2022/963 दिनांक 12.10.2022
2. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त का पत्र क/मा.चि./न.क–153–ए/2026/756 दिनांक 20.03.2026
3. वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल का पत्र/मा.चि./638 दिनांक 27.03.2026

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र–1 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर दिनांक 12.10.2022 से प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया था, जिसमें शर्त क्रमांक ii(b) की पूर्ति नहीं की गई थी, जिसकी पूर्ति कर संदर्भित पत्र–3 द्वारा पुनः इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका नोडल कार्यालय वन (सं एवं सं.) अधिनियम, 1980 के परीक्षण उपरांत बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

| क्रमांक | अधिरोपित शर्त | पालन प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| i. | Legal status of the forest land shall remain unchanged. | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| ii. | Compensatory afforestation | |
| a) | Compensation afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.64 Ha. Degraded Revenue Forest land in Khasrsa No. 780 at Beat- Premnagar, Range- Ramanujnagar, Village- Bkirma, District Surajpur at the cost of the user agency. As per as possible, a mixture of local indigenous species along with 10% RET species of Surajpur District shall be planted and monoculture of any species may be avoided. At least one water body shall be constructed in the from of Tank/stop dams etc if the same area not available in the area or in nearby vicinity; | उक्त प्रकरण में प्रभावित 1.82 हे. राजस्व वन भूमि के एवज में ग्राम बकिरमा, तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर अन्तर्गत खसरा नंबर 780 कुल रकबा 51.31 हे. भूमि में से दुगुना क्षेत्र 3.64 हे. भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। उक्त भूमि पर स्थानीय स्वदेषी प्रजातियों को समायोजित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति सिचिंत वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल द्वारा निर्मित तथा अनुमोदित किया गया है, जिसकी कुल लागत रू. 46,83,399/– का भुगतान ई–चालान के माध्यम से किया गया है। वचन पत्र एवं चालान की प्रति संलग्न। |
| b) | before Stage-II Clearance. | आवेदक संस्थान के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु न्यायालय कलेक्टर सूरजपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2019 की छायाप्रति संलग्न है। साथ ही शर्त अनुरूप वन |

| | | |
|---|---|---|
| | | विभाग के नाम से नामांतरण की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि हेतु खसरा पांचशाला पी–II की प्रति संलग्न है। |
| iii. | The cost of compensatory afforestattion at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey. Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Deaprtment by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years; | उक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व वनभूमि में 10 वर्षीय सिचिंत वृक्षारोपण योजना वर्तमान प्रचलित दर पिल्हरो के सीमाकंन सहित वन विभाग द्वारा निर्मित किया गया था जिसकी कुल लागत रूपये 46,83,399/– का भुगतान ई–चालान के माध्यम से किया गया है। उक्त योजना लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर अंतर की राशि के भुगतान हेतु संस्थान वचन बद्ध है। |
| iv. | NPV: | |
| a) | The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.82 Ha. Forest area to be diveted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA no. 566 in WP (C) no. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letter no. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard; | नवीन जिला कोर्ट भवन में प्रभावित 1.82 हे0 राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायाल भारत सरकार के निदेर्षो के अनुसार एवं वन विभाग द्वारा प्रत्याषा शुल्क रूपयें 17,43,160/– का गणना पत्रक अनुमोदित किया गया है जिसका भुगतान ई–चालान के माध्यम से संस्थान द्वारा किया गया है। रसीद की प्रति संलग्न है। |
| b) | Additional amont of the NPV of the diveted forest land, if nay, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| v. | No tree felling or cutting shall be permiited under instant proposal; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| vi. | All the funds received from User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/); | नवीन जिला कोर्ट भवन में प्रभावित 1.820 हे0 राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत प्रत्याशा मूल्य की राशि 17,43,160/– एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 46,83,399/– कुल राशि 6426559/– कैम्पा खाते में ई.पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। |
| vii. | The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Righsts) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 | उक्त प्रकरण हेतु वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत् जारी कलेक्टर सूरजपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 26.07.2021 की छायाप्रति संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| | dated 28.06.2022; | |
| viii. | To improve the Forest/Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency in consultation with local DCF shall raise at least 1500 seedings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicianal, ornamental and indigenous/local for 10 years. At least 50% of seedlings shall be planted by User Agency in the vicinity of project area including forest area and for hand holding with local people residing in vicinity of proposed road, A six-monthly compliance report species wise seedings raised and location of plantation area shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| ix. | User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable; | आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सूरजपुर के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, कि उक्त प्रस्ताव भवन निर्माण के लिए है, जिसके लिए पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नही है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है। |
| x. | The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Governemt; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xi. | No labour camp shall be established on the forest land; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xii. | Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Dvelopment Corporation or any other legal source of alternate fuel; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xiii. | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisonal Forest Officer; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xiv. | No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xv. | The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xvi. | The forest land shall not be used for any purpose othe than that specified in the project proposal; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xvii. | The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xviii. | Violation of any of these conditions will | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न |

| | | |
|---|---|---|
| | amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action shall be taken as per the MoEF&CC Guidline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018; | है। |
| xix. | Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may Stipulate from time to time in the intrest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall aplly; | आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है। |
| xx. | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/); | आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड किया जावेगा। इस आशय का वचन–पत्र संलग्न है। |

उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदानुसार प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने का अनुरोध है।

**संलग्नः–** उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

**(प्र.मु.व.संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)**

Digitally signed by
SUNIL KUMAR MISHRA
Date: 30-03-2026
11:19:44

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.सं.
(भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ.क्र0/विविध/115–925/LAND-43/312/2026-FOREST HQ/434521 As per e-signature

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः**

1. **मुख्य वन संरक्षक,** सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमंडलाधिकारी,** सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. **जिला कलेक्टर,** सूरजपुर छत्तीसगढ़।
4. **कार्यपालन अभियंता,** लोक निर्माण विभाग, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।